राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–106/2022
ललन कुमार बनाम् मीरा देवी।

यह वाद श्री ललन कुमार, पिता–स्व0 रामदेव साह, ग्राम–करनौल चतुर्भुज, वार्ड संख्या–24, साहेबगंज, नगर परिषद्, थाना–साहेबगंज, प्रखण्ड–साहेबगंज, जिला–मुजफ्फरपुर (वर्तमान पता–खोनसा मार्केट, सिटी वाईन, शॉप, नियर–ए0पी0एम0सी0 मार्केट, खोनसा, तिराप, खोनसा अंचल, अरूणाचल प्रदेश, पिन–786630) द्वारा श्रीमती मीरा देवी, पति–श्री राजेश साह, ग्राम–करनौल चतुर्भुज, वार्ड संख्या–24, साहेबगंज, नगर परिषद्, थाना–साहेबगंज, प्रखण्ड–साहेबगंज, जिला–मुजफ्फरपुर (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, साहेबगंज, नगर परिषद्) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04. 04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, साहेबगंज, नगर परिषद्, थाना–साहेबगंज, प्रखण्ड–साहेबगंज, जिला–मुजफ्फरपुर के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री ललन कुमार का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र कुमार उपाध्याय, श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती मीरा देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री नवीन कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर** एवं श्री ब्रज बिहारी भगत, अपर समाहर्त्ता(लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी), **मुजफ्फरपुर** को प्राधिकृत किया गया।

3. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा पत्रांक–1619/पं0, दिनांक–19.06.2024 द्वारा अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके उपरांत प्रतिवादी द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे दिया गया, जिसके कारण दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा वाद की कार्रवाई समाप्त पर सहमति व्यक्त की गयी।**

आयोग द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा इसकी समीक्षा की गई, तो पाया गया कि:–

(क) प्रतिवादी के पुत्र अरविन्द कुमार की जन्मतिथि DBT योजना के तहत प्राप्त होने वाले छात्रवृति प्रपत्र एवं 'ऑनलाईन' प्रविष्टि में **दिनांक–10.01.2011** अंकित है।

उक्त तथ्य उजागर होने के उपरांत प्रतिवादी के पति एवं स्कूल कर्मियों द्वारा नामांकन–पंजी में जन्मतिथि को परिवर्तित किया गया है।

(ख) अरविन्द कुमार के नामांकन–पंजी में छेड़छाड़ एवं कूट रचना का प्रमाण जिला शिक्षा पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर द्वारा पाया गया, जिसके आलोक में उनके द्वारा पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्री वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी है।

(ग) प्रतिवादी के एक अन्य संतान रीतिक कुमार की जन्मतिथि NIC के आँकड़ों में दिनांक–12.08.2008 है।

इनके नामांकन–पंजी में भी प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्री वीरेन्द्र कुमार के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है।

(घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साहेबगंज में संधारित जन्म–मृत्यु पंजी के आधार पर यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–10.01.2011 को श्रीमती मीरा देवी, पति–श्री राजेश साह, ग्राम–गढ़ करनौल, साहेबगंज द्वारा एक पुरूष बच्चें को जन्म दिया गया है। यह जन्मतिथि प्रतिवादी के पुत्र अरविन्द कुमार के DBT में अंकित जन्मतिथि के हू–ब–हू है।

(ङ.) प्रिया कुमारी के मैट्रिक में जन्मतिथि–20.06.2006 है।

(च) प्रतिवादी के दोनों पुत्रों का जन्म प्रमाण–पत्र वर्ष–2022 में हलीमपुर पंचायत से निर्गत कराया गया है, जो कि मात्र शपथ–पत्र के आधार पर निर्गत कराया गया है, एवं इसको निर्गत करने में निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण ये जन्म प्रमाण–पत्र अवैध है।

(छ) प्रतिवादी के द्वारा एक संतान अमित कुमार का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिया गया है, परन्तु निर्गत/निबंधन पंजी कार्यालय अभिलेख से गायब कर दिया गया है।

(ज) प्रतिवेदन का निष्कर्ष है कि "तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्रीमती मीरा देवी द्वारा दोनों पुत्र क्रमशः रीतिक कुमार एवं अरविन्द कुमार के जन्मतिथि में बदलाव कराया गया है, जिससे जन्मतिथि "कट ऑफ" तिथि–04.04.2008 के पूर्व निर्धारित हो जाय। उक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मीरा देवी के दोनों पुत्र का जन्म दिनांक– 04.04.2008 के पश्चात् हुआ है। अतः मीरा देवी के नामांकन–पत्र प्रपत्र–(ग) के क्रमांक–09 पर दिनांक–04.04.2008 के बाद संतानों की संख्या शून्य दर्शायी गयी है, जो असत्य है।"

आयोग द्वारा यह पाया गया कि श्रीमती मीरा देवी द्वारा स्वयं अपने नामांकन–पत्र में अपने संतानों की संख्या 03(तीन) अंकित की गयी, परन्तु उनके द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत जन्म लेने वाले संतानों की संख्या को शून्य अंकित किया गया है, जो कि तथ्यतः गलत पाया गया है। संभवतः इसी कारण उनके द्वारा वार्ड पार्षद के पद से त्याग–पत्र दे दिया गया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि अगली कार्रवाई के रूप में आयोग द्वारा उन्हें वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त कर दिया जायेगा।

आयोग द्वारा पाया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) का प्रभाव स्थायी प्रकार का होता है, अर्थात् इस प्रकार से अर्जित अयोग्यता भविष्य होने वाले निर्वाचनों के लिए उनके अभ्यर्थित्व को प्रभावित करती है। अतः प्रतिवादी के त्याग–पत्र के बावजूद आयोग द्वारा इस वाद में आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया है।

चूँकि विचाराधीन मामले में प्रतिवादी द्वारा स्वयं नामांकन–पत्र में स्वीकार किया गया है कि उनके तीन संतान है तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित है कि उनमें से दो संतानों की जन्मतिथि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत है। अतएव प्रतिवादी के त्याग–पत्र के बावजूद प्रतिवादी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अयोग्यता अर्जित कर ली गयी।

(क) उक्त कारणों से प्रतिवादी श्रीमती मीरा देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित किया जाता है। इस आदेश का प्रभाव बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के सीमाओं के अधीन भविष्य में होने वाले निर्वाचनों पर लागू रहेगा।

(ख) जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मीरा देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.07.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–106/2022/3114 पटना, दिनांक–15/07/2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मुजफ्फरपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

15/7/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–106/2022/3114 पटना, दिनांक–15/07/2025

प्रतिलिपि–श्री ललन कुमार, पिता–स्व0 रामदेव साह, ग्राम–करनौल चतुर्भुज, वार्ड संख्या–24, साहेबगंज, नगर परिषद्, थाना–साहेबगंज, प्रखण्ड–साहेबगंज, जिला–**मुजफ्फरपुर** (वर्तमान पता–खोनसा मार्केट, सिटी वाईन, शॉप, नियर–ए0पी0एम0सी0 मार्केट, खोनसा, तिराप, खोनसा अंचल, अरूणाचल प्रदेश, पिन–786630 एवं श्रीमती मीरा देवी, पति–श्री राजेश साह, ग्राम–करनौल चतुर्भुज, वार्ड संख्या–24, साहेबगंज, नगर परिषद्, थाना–साहेबगंज, प्रखण्ड–साहेबगंज, जिला–**मुजफ्फरपुर** (निवर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–24, साहेबगंज, नगर परिषद्) को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–106/2022/3114 पटना, दिनांक–15/07/2025

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/7/25

विशेष कार्य पदाधिकारी